निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–05.03.2026 (गुरूवार) को अपराह्न 03:30 बजे से VC के माध्यम से आहूत दक्षिण बिहार के जिलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से दक्षिण बिहार के जिलों यथा भोजपुर, रोहतास, पटना, नालन्दा, कैमूर, बक्सर, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. <u>समाहरण :–</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 04 मार्च, 2026 तक मात्र 2726.61 करोड़ रूपये का समाहरण प्राप्त हुआ है, जो वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत 57.32 है।

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 04 मार्च, 2026 तक कम समाहरण करने वाले 10 जिलों की स्थिति निम्नवत है :–

(आँकड़ा लाख रू0 में)

क्र0	जिला	वार्षिक लक्ष्य (2025–26)	04 मार्च, 2026 तक का समाहरण	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 04 मार्च, 2026 तक समाहरण का प्रतिशत (%)	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर
01	मुंगेर	4217.87	1119.70	26.55	3098.17
02	जमुई	25095.00	9480.93	37.78	15614.07
03	जहानाबाद	3873.97	1617.89	41.76	2256.08
04	पटना	63940.77	29806.54	46.62	34134.23
05	लखीसराय	14116.21	6613.92	46.85	7502.29
06	औरंगाबाद	51290.81	24602.31	47.97	26688.50
07	गया	27921.94	13886.98	49.74	14034.96
08	नालन्दा	7020.91	3587.03	51.09	3433.88
09	रोहतास	42669.49	23681.00	55.50	18988.49
10	कैमूर(भभूआ)	4500.55	2538.34	56.40	1962.21

उपर्युक्त जिलों को निदेश दिया गया कि सभी मदों का कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष के पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष समाप्ति में 01 माह से भी कम अवधि शेष है। ऐसी स्थिति में सभी जिलों को सख्त निदेश दिया गया कि वित्तीय समाप्ति के पूर्व बालूघाटों की सफल नीलामी कराकर, नीलामित बालूघाटों के संचालन में तेजी लाकर, बालूघाट के देय किस्त का भुगतान कराकर तथा सभी कार्य विभागों में व्यक्तिगत रूप से जाकर अपेक्षित मालिकाना फीस एवं स्वामिस्व की राशि को जमा कराकर एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रतिदिन छापेमारी कर नियमानुसार दंड की वसूली कर हर हाल में राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। लक्ष्य अप्राप्त रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

समाहरण के दृष्टिगत बड़े 05 जिलों का लक्ष्य एवं समाहरण :—

(आँकड़ा करोड़ रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	वार्षिक लक्ष्य (2025—26)	04 मार्च, 2026 तक का समाहरण	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर	04 मार्च, 2026 तक लक्ष्य एवं समाहरण के अन्तर का 50 प्रतिशत
01	भोजपुर	838.39	600.64	237.75	118.87
02	पटना	639.41	298.07	341.34	170.67
03	औरंगाबाद	512.91	246.02	266.89	133.44
04	रोहतास	426.69	236.81	189.88	94.94
05	गया	279.22	138.87	140.35	70.17

उपरोक्त 05 जिलों का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर काफी अधिक है। निदेश दिया गया कि कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2025—26 समाप्ति में मात्र 15 दिन शेष है। शेष अवधि में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य एवं समाहरण के अन्तर को पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :— संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण की अद्यतन स्थिति :—**

कार्य विभाग का निर्धारित लक्ष्य 1022.66 करोड़ के विरूद्ध 04 मार्च, 2026 तक का समाहरण 866.85 करोड़ है, जो लक्ष्य का 84.76 प्रतिशत है। पटना, नवादा, अरवल, जहानाबाद एवं मुंगेर जिलों का कार्य विभाग मद में कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत से भी कम समाहरण किया गया है, जो खेदजनक है। संबंधित जिलों के सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी कार्य विभागों विशेषकर पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग में कैम्प कर क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की राशि

का कटौती सुनिश्चित करायें तथा कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा करायें। जिलास्तरीय खनन टॉस्क फोर्स की बैठक में सभी कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान की समीक्षा समाहर्त्ता से करायेंगें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **<u>बालूघाटों के नीलामी/संचालन :–</u>**

(i) राज्यान्तर्गत कुल– 463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में 304 बालूघाट नीलामित है एवं कार्यादेश निर्गत बालूघाटों की संख्या 178 है। वर्त्तमान में औरंगाबाद में 59, गया में 20, जहानाबाद में 12, पटना में 11, नवादा में 11, भोजपुर में 10, रोहतास में 08, नालन्दा में 08, जमुई में 07, लखीसराय में 05, भागलपुर में 05 एवं अरवल में 03 बालूघाट अभी भी अनिलामित हैं। बालूघाटों की बंदोबस्ती के संबंध में बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद बालूघाटों की नीलामी में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों का निविदा आमंत्रित कर बालूघाटों की नीलामी की कार्रवाई सफलतापूर्वक सुनिश्चित करायें। साथ ही नीलामीत बालूघाटों का बंदोबस्तधारी एवं संबंधित RQP से सम्पर्क कर लंबित वैधानिक अनापत्ति यथा EC/CTE/CTO सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :– संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **<u>SEIAA की दिनांक–19.02.2026 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तावित बालूघाटों की स्थिति :–</u>**

दिनांक– 19.02.2026 को सम्पन्न SEIAA, Bihar की बैठक में राज्य के कुल– 27 बालूघाटों के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें पटना के 02, भोजपुर के 03, औरंगाबाद के 07, नवादा के 06, जमुई के 05, सीतामढ़ी के 02, मोतिहारी के 01 एवं रोहतास के 01 प्रस्ताव SEIAA, Bihar द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि 02 दिनों के अन्दर सक्षम प्राधिकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष बंदोबस्तधारी/RQP से CTE/CTO प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगें। साथ ही वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व संबंधित बंदोबस्तधारी से प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करायेंगें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **<u>EC निर्गत परन्तु CTE/CTO लंबित बालूघाटों की स्थिति :–</u>**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गया जिलान्तर्गत 02 बालूघाटों यथा ब्लॉक– 18 (गया मोरहर– 05), ब्लॉक– 21 (गया मोरहर– 08) के बंदोबस्तधारी द्वारा माह दिसम्बर में ही EC प्राप्त होने के बावजूद अभी तक CTE हेतु एवं ब्लॉक– 23 (गया मोरहर– 10) के बंदोबस्तधारी द्वारा CTE निर्गत होने के उपरान्त CTO हेतु आवेदन

समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी, गया को बालूघाटों के संचालन में नियमित अनुश्रवण नहीं करने एवं लापरवाही बरतने के आलोक में स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि लेकर 03 दिनों के अन्दर सक्षम प्राधिकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से समन्वय स्थापित कर लंबित CTE/CTO का निष्पादन सुनिश्चित करायेंगें।

(अनुपालन :–खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई)

6. **CTO निर्गत परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औरंगाबाद जिला के 02, अरवल के 01, वैशाली के 02, बेगुसराय के 02 एवं मधेपुरा के 01 बालूघाटों का CTO निर्गत है, परन्तु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि 03 दिनों के अन्दर लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **प्रत्यार्पित बालूघाटों के पुनर्नीलामी की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0–78 है, जिसमें से मात्र 12 बालूघाटों की सफल नीलामी हुई है। प्रत्यार्पित बालूघाटों की सघन जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों के Lessee का समाहर्त्ता के साथ बैठक कराकर समस्याओं का निराकरण करायें, ताकि राजस्व क्षति न हो।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में लक्ष्य एवं समाहरण के कार्य योजना की समीक्षा :–**

सहायक निदेशक एवं खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन मदों से राशि आने वाली है, उसे विशेष रूप से ध्यान देकर अविलम्ब खनन शीर्ष में जमा करायें। बालूघाटों के नीलामी / पुनर्नीलामी में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अविलम्ब नीलामी सफल करायें। इसी प्रकार संचालित बालूघाटो से प्राप्त होने वाली देय किस्त की राशि का ससमय भुगतान सुनिश्चित करायें। कार्य विभाग में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती सुनिश्चित कराते हुए राशि को खनन शीर्ष में जमा करायें। साथ ही कार्य विभाग से प्राप्त राशि को संबंधित कोषागार से मिलान कराना सुनिश्चित करें। दण्ड मद निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दण्ड की वसूली सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

9. **ईट–भट्ठों की भुगतान की स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कुल ईट–भट्ठों की सं0–6188 है, जिसमें से पूर्ण भुगतान ईंट–भट्ठों की सं0–3252 है, आंशिक भुगतान प्राप्त ईंट–भट्ठों की सं0–14 एवं शून्य भुगतान वाले ईंट–भट्ठों की सं0–2922 है। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया

गया कि अपने–अपने जिलों में संचालित ईंट–भट्ठों का निरीक्षण कार्य पूर्ण कराकर सभी ईंट भट्ठों से समेकित स्वामिस्व का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

10. S-Drive के अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदनः–

राज्यान्तर्गत कुल–38 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन / परिवहन एवं भंडारण के संबंध में S-Drive चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाय तथा खान निरीक्षक को नियमित रूप से संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी कर नियमानुसार दंड की राशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित करें। निदेश दिया गया कि दण्ड मद में निर्धारित लक्ष्य में अन्तर राशि की भरपाई अन्य मद में अतिरिक्त राशि की वसूली / भुगतान कराकर किया जाय। कृत कार्रवाई की सूचना कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

(1) विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के समाप्ति में बहुत ही कम दिन शेष है। कार्य योजना के तहत शेष लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(2) संचालित बालूघाटों / प्रत्यार्पित बालूघाटों के संबंध में पहुँच पथ, विधि व्यवस्था, नो–इन्ट्री इत्यादि समस्याओं का समाधान राजस्व हित में करने का निदेश दिया गया।

(3) सभी जिलों के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बालूघाटों के संचालन, कार्य विभागों द्वारा खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती तथा अन्य राशि की वसूली में आ रही समस्याओं को समाहर्त्ता के संज्ञान में आवश्य दें।

(4) सभी कार्य विभागों का योजनावार समीक्षा कर रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(5) कार्य विभागों द्वारा व्यवहृत लघु खनिजों के एवज में नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस के रूप में प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य का 10 प्रतिशत राशि की कटौती का मिलान एम0बी0 बुक एवं बिल बुक से अवश्य करें एवं कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करें।

(6) भोजपुर, औरंगाबाद एवं जमुई जिले का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण में काफी अन्तर है। निदेश दिया गया कि कार्य योजना बनाकर सभी मदो में अपेक्षित राशि की वसूली कराकर अगले बैठक से पूर्व अन्तर को कम करें।

(7) रोहतास जिला का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर 189.88 करोड़ है, जो काफी अधिक है। इस संबंध में प्रत्येक सप्ताह बैठक के क्रम में दिये गये निदेश

का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना)

(8) पटना जिला का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर 341.34 करोड़ है, जो काफी अधिक है। उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित कार्य विभागों, मेट्रो, रेलवे, BSMICL एवं अन्य कार्य विभागों से समन्वय स्थापित कर बचे हुए समय में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन :– खनिज विकास पदाधिकारी, पटना)

(9) सभी जिलों के प्रभारी पदाधिकारी को सख्त निदेश दिया गया कि बैठक के क्रम में दिये गये आश्वासन के आधार पर संबंधित विभागों से नियमानुसार राशि की वसूली आगामी बैठक के पूर्व करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

सं0सं0:– प्र0–II–विविध(बैठक)–15/2023–2023/एम0, पटना, दिनांक :–19/03/26

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 18/3/26

सरकार के अवर सचिव

सं0सं0:– प्र0–II–विविध(बैठक)–15/2023–2023/एम0, पटना, दिनांक :–19/03/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 18/3/26

सरकार के अवर सचिव

19.3.26